



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 फाल्गुन 1942 (श0)

(सं0 पटना 124) पटना, मंगलवार, 23 फरवरी 2021

IE ,y@,pEt hE&13&02@2020&1208

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

संकल्प
17 फरवरी 2021

f0"k; %&

विभागीय संकल्प ज्ञापांक-858, दिनांक-27.01.2006 के तहत कर्तव्य के दौरान मृत/दुर्घटना में स्थायी रूप से अपंग हुए गृह रक्षकों के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नामांकन करने के मामले में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा आश्रितों के श्रेणीकरण एवं आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया में समय-समय पर किये गये प्रावधान लागू करने के संबंध में।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-13293, दिनांक 05.10.1991 के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-858, दिनांक-27.01.2006 के द्वारा कर्तव्य के दौरान मृत/दुर्घटना में स्थायी रूप से अपंग हुए गृह रक्षकों के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नामांकन करने के मामले में आश्रितों का श्रेणीकरण किया गया था। तदुपरांत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-512 दिनांक-12.05.2005, पत्रांक-7146 दिनांक-31.10.2008, पत्रांक-1699 दिनांक-05.05.2010 तथा पत्रांक-16973 दिनांक-10.12.2014 द्वारा आश्रितों के श्रेणीकरण में कई संशोधन किये गये हैं। फलतः विभागीय संकल्प ज्ञापांक-858, दिनांक-27.01.2006 में भी तदनुसार संशोधन आवश्यक हो गया है।

2. गृह रक्षक एक अल्प आय वर्ग में आते हैं। उनकी अहर्निश सेवाएँ एवं कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-858, दिनांक-27.01.2006 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि कर्तव्य के दौरान मृत/स्थायी रूप से अपंग गृह रक्षक के स्थान पर उनके एक सुयोग्य आश्रित यथा-मृतक के पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री/पुत्र की विधवा, जो गृह रक्षक के रूप में नामांकन की अर्हता रखते हों, को अनुकंपा के आधार पर गृह रक्षक के रूप में नामांकित किया जायेगा।

3. अतएव सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि विभागीय संकल्प ज्ञापांक-858, दिनांक-27.01.2006 में यह अंतर्विष्ट किया जाय कि कर्तव्य के दौरान मृत/दुर्घटना में स्थायी रूप से अपंग हुए गृह रक्षकों के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नामांकन करने के मामले में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा आश्रितों के श्रेणीकरण एवं आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया में समय-समय पर प्रावधान लागू किये जायें।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

fcgkj&jkT;iky d: vkn'k l:]
foey'k dekj >k]
l jdkj d: l;Dr lfpoA

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 124-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>